[2019] 10 एस. सी. आर. 616
श्रीमती सुनीता टोकस व अन्य
बनाम
न्यू इंडिया इंस्योरेंश कं. लि. व अन्य
(सिविल अपील संख्या 6339 सन 2019) अगस्त 16, 2019
(इंदू मल्होत्रा व संजीव खन्ना, जे. जे.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 धारा 166– कुंवारे व्यक्ति के मामले में गुणक– अपीलकर्ता पीड़ित–मृतक के माता–पिता है। अपीलकर्ताओं का मामला यह था कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पीड़ित–मृतक एक दोपहुया वाहन पर पीछे की सीट पर सवार होकर यात्रा कर रहा था– दोपहिया वाहन स्थिर वाहन से टकरा गया ।ट्रक सड़क के बीच मे खडा था। चालक और पीछे बैठे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई– दुर्धटना के समय मृतक की उम्र 21 वर्ष थी– एस. ए सी. टी. ने मृतक की अनुमानित आय रू 16,246 प्रति माह और 15 गुणक का आधार पर आंकी और मृतक की मां की उम्र के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया गया माना गया:माना गया गुणक को मृतक की उम्र के आधार पर लागू किया जाना चाहिये, न कि आश्रितों के उम्र के आधार पर। मौजूदा मामले मे, चूंकि मृतक 21 वर्ष का था, इसलिए गुणक 18 होगा सरला वर्मा मामले में गई तालिका के हिसाब से इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने एम. ए .सी. टी द्वारा दिये गया रू 16,246 से मृतक की अनुमानित आय को घटाकर रू. 7500/– करने में गलती की। मृतक एक प्राशिक्षित तैराक था जिसने कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं जीती थीं और निश्चित रूप से अपने कौशल का उपयोग करके जिविकोपार्जन की क्षमता, ऐसी परिस्थितियों में, मृतक की अनुमानित मासिक आय रू 12,000 तय की गई इसके अलावा, भविष्य की संभावलाओं के मृतक की अनुमानित आय का 40 प्रतिशत जोड़ा गया, निर्णय के अनुसार प्रणय सेठी में संविधान पीठ–प्यार और स्नेह की हानि, संपति की हानि, अंतिम संस्कार व्यय और एस. ए. सी. टी. द्वारा दिये गये व्याजके तहत उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि को बरकरार रखा गया है।
अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने आयोजितः
1. इस न्यायालय द्वारा दिये गये कई निर्णय हैं, जिनमें यह माना गया है कि गुणक को मृतक की आयु के आधार पर लागू किया जाना चाहिए, न कि आश्रितों के आय के आधार पर [पैरा 4][621– डी]
मुन्ना लाल जैन व अन्य बनाम विपिन कुमार शर्मा व अन्य (2015) 6 एस.सी. सी. 347 [2015] 7 एस. सी. सी. आर. 207 ;नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. बनाम प्रणय सेठी व अन्य [2017] 16 एस. सी. सी. 680 रायल सुंदरम एलांयंस इंशयोरेंस कं. लि. बनाम मंडाला यादागरी गौंड़ व अन्य (2019) 5 एस. सी. सी. 554– पालन किया गया ।सरला वर्मा व

अन्य बनाम दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन व अन्य (2009) 6 एस. सी., सी. 121 [2009] 5 एस. सी. आर. न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. बनाम शांति पाठक व अन्य (2007) 10 एस. सी. सी 1 [2007] 8 एस. सी. आर. 237, रेशमा कुमारी व अन्य बनाम मदम मोहन व अन्य (2013) 9 एस. सी. सी. 65[2013)]2 एस. सी. आर. अमृत भानु शाली व अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. व अन्य [2012] 11 एस. सी.सी. 738 [2012] 5 ओस. सी. आर. 207, सूबे सिंह व अन्य बनाम श्यामा सिंह (मृतक) व अन्य (2018) एस. सी. सी. 18 [2018] एस. सी. आर. 636 भरोसित

2. वर्तमान मामले मैे, चूंकि मृतक 21 वर्ष का था, इसलिये 18 का गुणक सरला वर्मा मामले में निर्धारित तालिका के अनुसार लागू था। मृतक एक प्रशिक्षित तैराक था जिसने कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं जीती थी। उनकी मां गुणगांव के एयरफोर्स स्टेशन (सेंट्रल स्कूल) में एक स्विमिंग जिम सेंटर चलाती है। इसलिये, मृतक के पास निश्चित रूप से अपने कौशल का उपयोग करके ,जीविकोपार्जन करने की क्षमता थी। ऐसी परिस्थिति में मृतक की अनुमानित आय रू 12,000 प्रति माह की दर से निर्धारित करना उचित है। प्रणय सेठी मानले में संविधान पीठ के फैसले के अनुसार, निचली अदालतें मृतक की अनुमानित आय के 40 प्रतिशत की दर से भविष्य की सभावनाएं देने में विफल रहीं। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा प्यार और स्नेह की हानि, संपत्ति की हानि, अंतिम संस्कार व्यय और एम. ए. सी. टी. द्वारा दिये गये व्याज के तहत दी गई राशि को बरकरार रखा गया है। पैरा [4.8–4.11] [624– ई–एच. 625– ए.बी.]

वाद कानून संदर्भ [2009] 5 एस. सी. आर. 1098 भरोसित पैरा 3.1 [2007] 8 एस. सी. आर 237 भरोसित पैरा 3.3 उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट (2019) 10 एस.सी. आर. (2013) 2 एस. सी. आर. 706 भरोसित पैरा 4.2 (2012) 95 एस. सी. आर 207 पालन किया पेरा 4.6 [2019] 5 एस. सी. आर. 554 पालन किया पैरा. 407

सिविल अपलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं 6339 सन 2019 नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एस. ए सी. ए. संख्या 323/2007 दिनांकित 01.08.2017 में पारित आदेश व निर्णय के विरुद्ध मनीष मैनी, मंजीत चावला, वाई. आर. शर्मा, ओ. पी. मैनी अपीलकर्ता के अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता अधिवक्ता प्रतिवादी न्यायालय का निर्णय दिया गया द्वारा इंदू मल्होत्रा, जे अनुमति प्रदान की गयी।

1. वर्तमान सिविल अपील एम. ए. सी ए. पी. पी. संख्या 323/2017 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अतिंम निर्णय और आदेश दिनांक 01.08.2017 को चुनौती देने हतु दायर की गई है।

यहां अपीलकर्ताओं ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली('एमएसीटी') और उच्च न्यायालय द्वार दिये गये मुआवजे में वृद्धि के लिये वर्तमान सिविल अपील दायर की है।

2. तथ्यात्मक मेट्रिक्स जिसमें वर्तमान सिविल अपील उत्पन्न होती है, उसे संक्षेप में निम्नानुसार बताया गया हैः–

2.1– अपरीलकर्ताओं का बेटा अर्थात प्रदीप टोकस एर छात्र था जो एक प्रशिक्षित तैराक था और उसने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते हैं।

2.2 11.05.2004 को, प्रदीप टोकस अपर रिज रोड पर करोल बाग, नई दिल्ली की ओर यात्रा करते समय एक दोपहिया वाहन पर पीछे की सीट पर बैठे था। रात्री 01ः05 बजे, उक्त दोपहिया वाहन एक स्थिर टर्क जिसका पंजीकरण संख्या एच. आर.– 51– जी. ए. 525 था के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो रात में दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रक सडक के बीच में बिना किसी इंडिकेटर लाईट के खडा था। दो पहिया वाहन खडे ट्र से टकरा गया और प्रदीप टोकस व चालक दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय प्रदीप टोकस 21 वर्ष के थे। यहां अपीलकर्ता मृतक के माता पिता है, जिन्होने अपने बेटे की मृतियु पर मआवजा का दावा करते हुए एम. ए सी. टीय पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष देवा याचिका दायर की थी। एम. ए. सी. टी. ने निर्णय दिनांक 25.05.2009 के तहत अपीलकर्ता दावेदारों को प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से ब्याज के साथ रू 1487140 का मुआवजा जिया।

मुआवजा निम्नलिखित मदो के अंतर्गत प्रदान किया गयाः

1) मृतक की अनुमानित आय भविष्य की संभावनाओं को 50 प्रतिशथ की दर से जोडकर रूपये 16,246/– प्रति माह के दर से आंकी गई। 2) व्यक्तित खर्चों के लिये 50 प्रतिशत की कटौती मृतक की अनुमानितआय से की गयी थी, क्योंकि वह कुंवारा था।

3) एम .ए. सी. टी. ने मृतक की मां ते उमर ते आधार पर 15 का गुणक लागू किया।

4) प्रेम और स्नेह की हानि हेतु रू 25,000 दिया गया।

5) संपति और कंसोर्टियम के नुकसान के लिये रू 10,000 मुआवजा दिया गया।

6)अंतिम संस्कार खर्च हेतु रू 5,000 दिया गया।

उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने एम. ए सी. ए पी. पी. संख्या 323/2017 दिल्ली उच्च न्यायालय में मुआवजा बढांने हेतु दायर की। प्रतिवादी- बीमा कंपनी ने ,मुआवजे में कमी के लिये एक क्रास- अपील दायर की।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.08.2017 के सामान्य निर्णय और आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता- देवेदारों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और उत्तरदाताओं- बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

उच्च न्यायालय ने एम. ए सी. टीय द्वारा दी जाने वाली मआवजे की राशि को घटाकर रू 9,25,000/- कर दिया। उच्च न्यायालय ने विभिन्न मदों के तहत निम्नलिखित राशियां प्रदान कीः

1- मृतक की अनुमानित आय रू 7500/- प्रति माह की दर से आंकी गई।

2) चूंकि मृतक कुंवारा था, इसलिए व्यक्तिगत खर्चो के लिये मृतक की अनुमानित आय से 50 प्रतिशत की कटौती की गई।

3) मृतक की उम्र के आधार पर 15 का गुणक लगया गया।

4) प्यार और स्नेग की हानि के लिये रू 200000 दिया गया

5)संपत्ति के नुकसान और अतिम संस्कार हेतु 50,000 दिया गया।

उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ता- दावेदारों ने दिए गए मआवजे को बढाने हेतु वनर्तमान सिविल अपील दायर की है।

हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व प्रतिवादी- इंश्योरेंस कंपनी को सुना।

3.1 अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने अन्यबातों के साथ-साथ प्रस्तुत कीया कि एम. ए सी. टी और उच्च न्यायालय ने मृतक की मां की उमर् के आधार पुर गलती से 15 का गलत सुणक लागू कर दिया था। यह प्रस्तुत किया गयाथा कि सरला वर्मा व अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम व अन्य मामले में इस अदालत के फैसले में निर्धारित तालिका के अनुसार, 18 के सुणक को मृतक की उम्र के आधार पर लागू किया जाना चाहिये थे।

3.2 आगे यह पस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने मृतक की अनुमानित आय रू 7,500 प्रति माह की दर से तय करने मां गलती की और भविष्य की संभावनाओं का निर्णय नहीं दिया।

3.3 दूसरी ओर बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि नीचे की अदालतों को मृतक की मां की उम्र के अनुसार 15 के गुणक को लागू करना उचित था, न कि मृतक की उम्र के अनुसार जो कुवांरा था। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति पाठक के फैसले पर भरोसित किया गया।

4- हमने नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन किया है और पाया है कि गुणक मृत लढके की मां की उम्र के आधार पर तय किया गया है। इस सम्बन्ध में मुद्दा यह है कि क्या कुवांरे व्यक्ति के मामले में लागू किया जाने वाले गुणक की गणना मृतक की उम्र के आधार पर की जानी चाहिए था मां की उम्र अब पूर्णांक नही है। इस न्यायालय द्वारा दिये गये कई निर्णय हैं जिनमें यह माना गया है कि गुणक को मृतक की उम्र के आधार पर लागू किया जाना चाहिए न कि आश्रित की उम्र के आधार पर।

4.1 सरला ,वर्मा (सुप्रा) में, इस अदालत ने ऐसा माना:

'19. मृतक की उम्र और सक्रिय करियर की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उचित गुणक का चयन किया जाना चाहिये। इसका मतलब यह पता लगाना नहीं है कि दुर्घटना के अलावा वह कितने वर्षों तक जिवित रहा होगा या काम किया होगा। जीवन व आर्थिक कारकों में कई अपरिहार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा आयु के संदर्भ में गुणको की एक तालिका की पहचान की गई है। मृतक की आयु के संदर्भ में गुणक को उक्त तालिका से चुना जाना चाहिये।

4.2 रेशमा कुमारी व अन्य बनाम मदन मोहन व अन्य में इस न्यायालय को तीन न्यायधीशों की पीठ द्वारा यह अवधारित किया गया:

'36. सरला वर्मा में , इस न्यायालय ने धारा 166 के तहत किये गये दावे में निर्भरता के नुकसान के आकलन और मुआवजे के निर्धारण के अन्यथा जटिल अभ्यास के सरल बनाने का प्रयास किया है। सरला वर्मा 2009 (6) एस. सी. सी. 121 में यह सही कहा गया है कि मामले में दावेदार मुआवजे का प्रायोजनों के लिये मृत्यु दावे में (क) मृतक की उम्र (ख) मृतक की आय (ग) आश्रितो की संख्या, स्थापित होनी चाहिए। निर्भरता के नुकसान पर पहुंचने के लिये, ट्रिबुनल को 1. आय पर ,पहुंचने के लिये किया जाने वाले अतिरिक्त कटौती पर विचार करना चाहिये।

2 . मृतक के व्यक्तिगत जीवन व्यय के लिये की जानेवाली कटौती

3 . लागू किये जाने वाले गुणक पर विचार करना चाहिये। हमें नही लगता है कि इस बिंदु पर कानून पर दोबारा विचार करना हमारे लिये जरूरी है क्योंकि ,हम सरला वर्मा के विचार से पूरी तरह सहमत है।

4.3 अमृत भानी शाली व अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस क. लिं व अन्य के मामले में इस अदालत ने कहा कि गुणक का चयन मृतक की उम्र के आधार पर जाता है, न कि आश्रितों की उम्र के आधार पर। मृतक के कई आश्रित हो सकते जिनकी उम्र अलग-अलग होगी। इसलिये आश्रितों की उम्र का मुआवजे की गणना से कोई संबंध नही होगा।

4.4 मुन्ना लाल जैन व अन्य बनाम विपिन कुमार शर्मा व अन्य के मामलें में इस अदालत की अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर चर्चा की क्या गुणक आश्रितों की उम्र पर निर्भर होना चाहिये या मृतक की उम्र पर। इस अदालत ने माना कि इस मुद्दे का निर्णय रेशमा कुमारी (सुप्रा) में किया गया था जिसमें यह माना गया था कि इस्तेमाल किया जाने वाला गुणक मृतक की उम्र के संदर्भ में होना चाहिए। अदालत ने रेशमा कुमारी (सुप्रा) मामले में फैसले के पैरा 36 का हवाला दिया और कहा किः

'11. शेष प्रश्न केवल गुणक पर है। संतोष देवा (सुप्रा) का अनुसरण करते हुए उच्च न्यायालय ने 13 को गुणक के रूप में लिया है। क्या गुणक आश्रितों की उम्र पर निर्भर होना चाहिये था मृतक की उम्र पर यह कुछ समय से अटका हुआ है लेकिन रेशमा कुमारी (सुप्रा) मामलें में अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इसे शांत कर दिया है। यह माना गया कि गुणक का उपयोग मृतक की उम्र के संदर्भ में किया जाना चाहिये। एक कारण यह प्रतीत होता है कि मृतक की उम्र के संबंध में निश्चितता है, लेकिन जहां तक आश्रितों की बात है, तो इस बात पर हमेशा विवाद की गुंजाईश रहेगी कि सबसे बङे या सबसे छोटे की उम्र या यहां तक कि औसत आदि लेना है।'

4.5 मुन्ना लाल जैन (सुप्रा) मामले में सूबे सिंह व अन्य बनाम श्यामा सिंह (मृत) व अन्य मामले मेे इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिया गया।

4.6 नेशनल इंशयोरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य की संविधान पीठ ने सरला वर्मा(सुप्रा) और रेशमा कुमारी (सुप्रा) मामले में लिये गये दृष्टिकोण की पुष्टि की और नष्कर्षों में इसे निम्नानुसार दर्ज किया।

'गुणक लागू करने का आधार मृतक की उम्र होनी चाहिये'।

4.7 हाल ही में यह कानूनी मुद्दा कि क्या किसी कुंवारे व्यक्ति की मोटर दुर्धटना के मामले में गुणक की गणना के लिये मृतक की उम्र या आश्रितों की उम्र को ध्यान में रखा जायेगा। तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिये आया । रायल सुंदरम अलायंस इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मंडला यादगरी गौड व अन्य में न्यायालय ने

मुन्ना लाल जैन (सुप्रा) में दिये गये पहले तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला दिया जो बदले में सरला वर्मा (सुप्रा) में दिये गये फैसले पर निर्भर था, जिसे प्रणय सेठी (सुप्रा) में संविधान पीठ द्वारा पुष्टि की गई है। कोर्ट ने सूबे सिंह (सुप्रा) मामले में तीन जजों की बेंच के फैसले का भी हवाला दिया। न्यायालय ने पहले के सभी निर्णयों पर गौर करने के बाद पाया कि न्यायिक घोषणाओं ने विभिन्न घटकों के लिये मुआवजे की गणना के लिये एक मानक सूत्र तैयार किया था। किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिती में आश्रित दावेदारों को मुआवजे की राशि का भुगतान इस आधार पर किया जाता है कि मृतक ने उसके समर्थन में कितना योगदान दिया होगा। आश्रितों द्वारा प्राप्त राशि संपत्ति का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि वे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं या ऐसी स्थिति में लागू होने वाले गुणक की गणना के लिये ध्यान में रखी जाने वाली आयु सीमा से कम उम्र के हो सकते है। किसी विवाहित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, यह एक सवीकृत मानदंड है कि मृतक की उम्र को धयान में रखा जायेगा। न्याय़ालय ने कहा कि कुवारें व्यक्ति के मामले में भी यही सिद्धांत लागू किया जाना चाहिये। अदालत ने कहा कि एक बार कानून तय हो जाने के बाद, इसे बार- बार नहीं बदला जाना चाहिये, क्योकिं किसी भी भ्रम से बचने के लिये कानून की निश्चितता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वर्तमान मामले में , चूंकि मृतक 21 वर्ष का था, 18 का गुणक सरला वर्मा मामले में निर्धारित तालिका के अनुसार लागू था। उच्च न्यायालय ने एस. ए सी. टी. द्वारा निर्णय प्राप्तकर्ता के रूप में मृतक की अनुमानित आय को रू 16,246/- से घटाकर रू 7500/- करने की गलती की। मृतक एक प्रशिक्षित तैराक था जिसने कई राज्य स्तरीय प्रतियोगितायें जीतिं थी। उनकी मां गुङगाव के एयरफोर्स स्टेशन (सेंट्रल स्कूल) में एक स्वीमिंग/जिम सेंटर चलाती हैं। इसलिये मृतक के पास निश्चित रूप से अपने कौशल का उपयोग कर के जिविकोपार्जन करने की क्षमता थी। ऐसी परिस्थितियों में, हम मृतक की अनुमानित आय प्रति माह रू 12,000/- की दर से तय करना उचित समझते हैं। प्रणय सेठी (सुप्रा) में संविधान पीठ के फैसले के अनुसार निचली अदालतों मृतकों की अनुमानित आय के 40 प्रतिशत की दर से भविष्य की संभावनाएं देने में विफल रही।

4.11 हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा प्यार और स्नेह की हानि, संपत्ति की हानि,अतिम संस्कार व्यय और एम. ए. सी. टी. द्वारा दिये गये व्याज के तहत दी गई राशि को बरकरार रखा गया है।

5. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपीलकर्ताओं को दिये गये मुआवजे को निम्नानसार बढाया जाता हैः

I. आयः रू 12,000/-

II. भविष्य की संभावनाएंः रू 4,800/- (अर्थात आय का 40 प्रतिशत)

III. व्यक्तिगत खर्चों हेतु कटौतीः 50 प्रतिशत

IV. कुल आय रू 8,400/- (अर्थात 12,000 का 50 प्रतिशत *4,800)

V. गुणकः 18

VI. भविष्य के आय की हानिः रू. 18,14,400/- (अर्थात 8400*12*18)

VII. प्यार और स्नेह की हानिः रू. 2,00,000/-

VIII. संपत्ति का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्चः रू. 50,000 कुल रू. 20,64,400/-

IX. बढी हुई राशि रू 11,39,400/- (अर्थात 20,64,400-9,25,000)

6. प्रतिवादी- बीमा कंपनी के इस फैसले की तारीख से एक माह के भीतर अपीलकर्ताओं को रू 11,39,400/- की बढी हुई राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। बढी हुई राशि पर दाना याचिका दाखिल करने की तारीश से वसूली की तारीख तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा। उपरोक्त शर्तों के तहत सिविल अपील की अनुमति दी जाती है। सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तदनुसार निपटाये जाते है।

तदनुसार आदेश किया गया।

अपील की अनुमति दी गयी।

Translated by:

(Birendra Singh)

Additional District Judge

Court No.- 6, Prayagraj

J. O. Code- UP 1569